

सरकार बनाम मसरा वगैराह रेफरेन्स प्रकरण संख्या 15/2013

22.10.2018	सरकारी वकील व अप्रार्थी संख्या 1/2 के वकील उपस्थित। प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार रेफरेन्स प्रकरण का परीक्षण हेतु मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में परीक्षण करे और बाद परीक्षण प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को रेफरेन्स हेतु अभिशांषित करने की कार्यवाही करे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Sd— जिला कलेक्टर जालौर	
------------	--	--